अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 2001

का. आ. 766 (अ).—केन्द्र सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न तालिका के कॉलम (2) और (3) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करती है।

राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित उक्त राजमार्ग उक्त तालिका में यथा उल्लिखित क्रम संख्या, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या और उसके विवरण के साथ उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट समझा जाएगा

तालिका

राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की अनुसूची में क्रम संख्या	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	राष्ट्रीय राजमार्ग का विवरण
1	2	3
13एएए	11ए विस्तार	दौसा के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 के साथ अपने जंक्शन से शुरू होकर लालसोत को जोड़ते हुए और राजस्थान राज्य में कोथुन के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग ।
61ए	72ए	उत्तर प्रदेश राज्य में छुटमलपुर के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 73 के साथ अपने जंक्शन से शुरू होकर और बिहारगढ़, मोहन्द को जोड़ते हुए और उत्तरांचल राज्य में देहरादून के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 72 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग ।
67ए	58 विस्तार	पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 पर अपने समाप्ति स्थल से शुरू होकर और उत्तरप्रदेश राज्य में दिल्ली/उत्तर प्रदेश के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग ।
98ए	108	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 94 पर धरासू के समीप अपने जंक्शन से शुरू होकर और उत्तरकाशी, भटवारी को जोड़ते हुए और उत्तरांचल राज्य में गंगोत्री धाम पर समाप्त होने वाला राजमार्ग ।

1	2	3
98एए	109	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 58 पर रुद्रप्रयाग के समीप अपने जंक्शन से शुरू होकर और गुप्तकाशी, फाटा को जोड़ते हुए और उत्तरांचल राज्य में केदारनाथ धाम के समीप गौरीकुण्ड में समाप्त होने वाला राजमार्ग ।

[फा. सं. एन एच-14012/2/97-पी एल (पार्ट)]
एस. सी. शर्मा, महानिदेशक (सड़क विकास) व अपर सचिव

टिप्पण : राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम,1956 (1956 का 48) की अनुसूची दिनांक 4 अप्रैल,1957 की अधिसूचना सं. का.नि.आ. 1180 के तहत उक्त अधिनियम के साथ सरकारी राजपत्र में प्रकाशित की गई थी और उसमें पिछली बार 12 अक्तूबर, 2000 की अधिसूचना सं. का. आ. 923 (अ) के तहत संशोधन किया गया था ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th August, 2001

S. O. 766(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby declares each of the highways specified in the columns (2) and (3) of the Table below to be a National Highway

The said highways, declared to be National Highways, shall be deemed to be specified in the Schedule to the said Act, with the serial number, National Highway number and the description thereof, as indicated in the said Table:

TABLE

Serial number in the Schedule to the National Highway Act 195 6 (48 0f 1956)	National Highway No.	Description of National Highways
1	2	3
13AAA	11A Extension	The highway starting from its junction with National Highway number 11 near Dausa and connecting Lalsot and terminating at its junction with National Highway number 12 near Kothun in the State of Rajasthan
61A	72A	The Highway starting from its junction with National Highway number 73 near Chhutmalpur in the State of Uttar Pradesh and connecting Biharigarh, Mohand and terminating at its junction with National Highway No.72 near Dehradun in the State of Uttaranchal.

1	2	3
67A	58 Extension	The highway starting from its terminating point on old National Highway No.24 and terminating at its junction with National Highway No.24 near Delhi/Uttar Pradesh border in the State of Uttar Pradesh
98A	108	The highway starting from its junction near Dharasu on National Highway number 94 and connecting Uttar Kashi, Bhatwari and terminating at Gangotri Dham in the State of Uttaranchal
98AA	109	The highway starting from its junction near Rudraprayag on National Highway No. 58 and connecting Guptkashi, Phata and terminating at Gaurikund near Kedarnath Dham in the State of Uttaranchal.

[F. No. NH-14012/2/97-PL (Part)]

S. C. SHARMA, Director General (Road Development) and Addl. Secy.

Note: The Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) was published in the Official Gazette with the said Act vide notification No. S.R.O. 1180 dated 4th April, 1957 and was last amended vide Notification No. S.O. 923 (E) dated 12th October, 2000

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.